न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./77/2024

जंगलिया पुत्र रामचरन जाति जाटव निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1—हरचन्दी पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर
2—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी नदबई अन्तर्गत प्रकरण संख्या 31/2022

उपस्थितः—
1—श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक प्रार्थी,
2—श्री मोहनसिंह राना अभिभाषक रेस्पो.1

दिनांक 29.11.2024

निर्णय

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ उपखण्ड अधिकारी नदबई इस आशय का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उक्त एक दावा जंगलिया बनाम हरचन्दी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई में विचाराधीन है। जिसमें प्राथमिक डिक्री की जाकर कुरे तलब किये गये। तहसीलदार से कुरे प्राप्त होने पर विपक्षी द्वारा कुरों पर आपत्ति की गई, तहत न्यायालय ने आपत्ति स्वीकार कर पुनः कुरा तलवी के आदेश दिये गये हैं। तहसीलदार से कुरा रिपोर्ट सही प्राप्त हुई थी। अप्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से मिलकर अपने मनमुताविक बनवाने का आदेश कराया है तथा अप्रार्थी ने धमकी दी है कि सड़क के सहारे वाला नम्बर उसे ही मिलेगा। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उपखण्ड अधिकारी नदबई से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी नदवई के न्यायालय में विचाराधीन दावा बटवारे का था। जिसमें तहसील से कुरा रिपोर्ट आचुकी थी। तहसीलदार द्वारा कुरा रिपोर्ट बिल्कुल सही भेजी थी। योग्य अभिभाषक का कहना है कि न्यायालय तहत को अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी के आधार पर जो कुरे तहसीलदार ने भेजे थे उसके आधार पर बटवारा करना चाहिये था, परन्तु अप्रार्थी द्वारा कुरा पर आपत्ति पेश करने पर मिलीभगत से दुबारा कुरा मंगाने के आदेश गलत दिये गये हैं, अप्रार्थी अपनी मर्जी के मुताबिक जमीन चाहता है जब कि नियमों के तहत अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी के आधार पर बटवारा होना चाहिये। अप्रार्थी धमकी देता है कि बटवारा तो उसके हिसाब से ही होगा, तहत न्यायालय द्वारा दुबारा रिपोर्ट मंगाने के आदेश से प्रार्थी को आंशका है कि तहत न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा। इस लिये प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना जरुरी है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि मुन्तकिली प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच बटवारा के बाबत इकरारनामा गांव के मौजिज व्यक्तियों के बीच में लिखा गया जिसमें खसरा नम्बर 296 अप्रार्थी की खातेदारी व खसरा नम्बर 297 प्रार्थी की खातेदारी में रहेगा यह तय हुआ था। प्रार्थी ने इस तथ्य को छिपाया है। अप्रार्थी ने कोई धमकी प्रार्थी को नहीं दी गई है। प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरीना करने की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदवई के न्यायालय में एक दावा बटवारे का उनवानी जंगलिया वनाम हरचन्दी विचाराधीन है। जिसमें तहसील से कुरे भी प्राप्त हुये हैं परन्तु उपखण्ड अधिकारी नदवई ने अप्रार्थी की आपत्ति पर पुनः कुरा मंगाने के आदेश दिये हैं यह तथ्य दोनों पक्ष स्वीकारते हैं तथा एस.डी.ओ. नदवई से प्राप्त टिप्पणी से भी स्पष्ट है। नियमों में स्पष्ट है कि बटवारे में अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी जमीन के आधार पर न्यायालय द्वारा बटवारा किया जाना है, अगर तहसील स्तर पर तहसीलदार द्वारा अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी के आधार पर कुरे वनाकर भेजे गये हैं अगर उन पर किसी पक्षकार सहमत नही है, तो इसका यह मतलव नही कि उसके मन मुताविक कुरा बटवारा किया जावे। यहाँ न्यायालय तहत को नियमों के तहत यह देखना है कि जो कुरे प्राप्त हुये है वे नियमों के तहत अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी के आधार पर तैयार किये गये हैं या नहीं। केवल मात्र किसी पक्षकार द्वारा निराधार आपत्ति करने पर प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब से बचना चाहिये।

.....3

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नदबई को निर्देशित किया जाता है कि विवेचनानुसार प्रकरण में कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नदबई को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर